| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | |
|---|---|---|
| 12.03.2020 | दिनांक 03.03.2020 से मुकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर ग्राम थोई के भूमि खसरा नम्बर 147, 150 कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भम्भूसिंह की जगह शिम्भूसिंह सही संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया।<br><br>हमने वकील प्रार्थी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली का सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम शिम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह दर्ज रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में प्रार्थी का नाम भम्भूसिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। जिसके लिए तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2097/ /2019 दिनांक 8.8.19 में यह अंकित किया है कि उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र भम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह के नाम दर्ज हुई है। शिम्भूसिंह को वर्तमान में भम्भूसिंह उपनाम से भी गांव के लोग | |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

| नम्बर व अहकाम हुक्म की जिस हुक्म में जारी | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | [illegible] | |

सम्बोधित करते है। शिम्भूसिंह व भम्भूसिंह पुत्र गोपालसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी मौके पर काबिज काश्तकार है। इस प्रकार प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के द्वारा आना स्पष्ट प्रकट होता है तथा विक्रय लेख एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात होता है। जिसके अन्तर्गत की गई कार्यवाही को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दुरूस्त किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी यदि चाहे तो नाम दुरूस्ती हेतु रजिस्टर्ड विक्रय लेख के विरूद्ध शुद्धि पत्र उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाया जाकर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमियों में नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आना स्पष्ट प्रमाणित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत पोषणीय नहीं है।

"आदेश"

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.03.30 16:01:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: